संख्या-65/2021/2353/58-2021

प्रेषक,

आनन्दक कुमार राय,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासंन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊः दिनांकः14 दिसम्ब र 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4401-119-03-02-राज भवन के उद्यानों का अनुरक्षण की मानक मद 24-वृहद निर्माण में धनराशि रू0-7.32 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-103/बजट/2021-22 , दिनांक 15-11-2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4401-119-03-02-राज भवन के उद्यानों का अनुरक्षण की मानक मद 24-वृहद निर्माण में धनराशि रू0-7.32 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल माहोदय निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैरू-

1- धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमो के अनुसार किया जायेगा।

3- प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्वर विभागाध्यक्ष का होगा।

4- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

5- वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

6- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थाियी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक
अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्याय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

7- सम्भा वित व्यीय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक संम्भव हो, व्य्य की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

8- विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

9- कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योरकि धनराशि के एकमुश्तर आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

10- व्यषय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यहय में मितव्यायिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- धनराशि के आहरण एवं व्यनय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-3-2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्य य अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4401-119-03-02-राज भवन के उद्यानों का अनुरक्षण की मानक मद 24 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-2583-दस-2021-22, दिनांक-09 दिसम्बर 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव

<u>संख्या 65/2021/2353(1)/58-2021 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

(1) माहालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
(2) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्येय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यूय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in